

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : १३ - ९ - १२

विषय :-

मॉग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-२८-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. राज्यांश), विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०P470200796280545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	५०-लघु सिंचाई विभाग /४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	७९६-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / २८-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.; राज्यांश),	०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य/ ५०P470200796280545	५५०.००

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ पचास लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध ₹ १६००.०० लाख (₹ सौलह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट १ पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
 8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
 9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
 13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।
- नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
- अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 111

रॉची, दिनांक :- 13-३-१२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/चाईबासा/सरायकेला-खरसांवा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 111

रॉची, दिनांक :- 13-३-१२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक -

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,

मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उपरशीर्ष-28-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.)

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,

विपत्र कोड-50P470200796280545

बजंट उपबंध (वर्ष 2012-13) रु. 1600.00 लाख

(लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2012 तक का अवय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			आमुकित			
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
शृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण														
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा।	संख्या-50	प्रभाग-4	अनगढ़ा 1 लेंगदुवा नाला पर श्रृं. चेकडैम	23/03.12.10	204.3200	34.772	0.000						
				अनगढ़ा 2 जोन्हा नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	162.9090	25.312	0.000						
				सिल्ली 3 जोवला नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	62.2480	51.161	0.000						
				सिल्ली 4 नागेडिह नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	223.9700	47.454	0.000						
				सिल्ली 5 पातरहातु नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	159.9470	136.396	0.000						
				सिल्ली 6 भडरा नाला श्रृं. चेकडैम	" "	510.0000	387.742	0.000						
				सिल्ली 7 आमदह नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	215.0990	117.057	0.000						
				रातू 8 मलार नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	115.3070	0.000	0.000						
				नामकोम 9 सपाही नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	190.7050	87.137	0.000						
				मांडर 10 सकरा नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	165.0080	80.667	0.000						
				बुढ़मू 11 भुर नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	296.4040	204.374	0.000						
				नामकोम 12 उवरिया घोरहा नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	122.8280	0.000	0.000						
				बुढ़मू 13 बंसरी नाला पर श्रृं. चेकडैम सं.-2	" "	278.4200	127.315	0.000	500.000	500.000				
				चान्हो 14 धरहा नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	245.1100	105.890	0.000						
				बेडो 15 गडी नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	199.7500	37.695	0.000						
				ओरमांझी 16 डोमा नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	204.0400	101.495	0.000						
				ओरमांझी 17 सपाही नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	197.8000	3.256	0.000						
				बेडो 18 डोरण्डा नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	243.2800	0.000	0.000						
				बेडो 19 टेरो नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	160.1800	91.199	0.000						
				कौंके 20 करकट्टा नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	160.7750	129.141	0.000						
				कौंके 21 मरवा नाला पर श्रृं. चेकडैम	" "	339.6280	163.674	0.000						
				कौंके 22 पिठोरिया नाला पर श्रृं.	" "	154.9500	40.560	0.000						
				रातू 23 चितरकोटा श्रृं. चेकडैम	" "	327.2450	155.971	0.000						
				सिल्ली 24 चाटम्बाटी नाला पर श्रृं.	" "	260.7170	85.393	0.000						
				सिल्ली 25 उडनगढ़ा नाला पर श्रृं.	" "	212.9120	158.787	0.000						
				सिल्ली 26 खेदाडीह श्रृं. चेकडैम	" "	486.7410	366.350	0.000						
						योग	5900.2930	2738.7980	0.0000	500.0000	500.0000			
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा।	संख्या-50	प्रभाग-4	टोन्टो 1 सिरिसिया नाला पर श्रृं.चेकडैम	23/03.12.10	149.92850	81.058	0.000						
				मझगांव 2 करजिया नाला पर श्रृं.चेकडैम	" "	233.99814	0.000	0.000	50.000	50.000				
				मझगांव 3 खरपाल नाला पर श्रृं.चेकडैम	" "	164.60663	0.000	0.000						
				कुमारडुंगी 4 कुमारडुंगी नाला पर श्रृं.चेकडैम	" "	124.29900	59.532	0.000						
						योग	672.83227	140.59000	0.00000	50.00000	50.00000			
						सकल योग	6573.125	2879.388	0.000	550.000	550.000			
आवंटित राशि - रु पाँच करोड़ पचास लाख मात्र।														

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव